## नियम 28 : आवेदक या प्रत्यर्थी या पक्षकार के लिए या उसकी ओर से प्राधिकार प्रस्तुत करना

जहां कोई अपील आवेदक या प्रत्यर्थी या पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से संस्थित की जानी प्रकल्पित है, वहां वह व्यक्ति जो उस पर हस्ताक्षर करता है या उसका सत्यापन करता है, रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के लिए ऐसी अपील के साथ ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए सशक्त करने वाले प्राधिकार पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा :

**परंतु** रजिस्ट्रार किसी भी समय पक्षकार से ऐसी अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा जिसे वह उचित प्राधिकरण के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उचित समझे।